कार्यालय–जनपद न्यायाधीश, संत कबीर नगर।

नीलामी सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि न्यायालय परिसर संत कबीर नगर में प्रस्तावित परिवार न्यायालय भवन के निर्माण स्थल पर आ रहे चिन्हित पौधों "जहां है जैसा है" के आधार पर जड़ सहित काटकर ले जाने की नीलामी प्रक्रिया दिनांक 04.06.2022 को न्यायालय भवन के भूतल पर स्थित सभागार कक्ष में अपराह्न 04:30 बजे सम्पन्न किया जायेगा। नीलामी से पूर्व बोलीदाता को अमानत राशि के रूप में धनराशि रूपये 20,000/– दिनांक 02.06.2022 को 02:00 बजे तक जमा करना होगा। उच्चतम बोलीदाता को बोली स्वीकृति होने पर सम्पूर्ण धनराशि जमा करनी होगी।

उपरोक्त से सम्बन्धित जमा की जाने वाली धनराशि नगद जमा की जायेगी, किसी प्रकार का चेक/ड्राफ्ट/बिल आदि ग्रहण नहीं किया जायेगा।

नीलामी की शर्ते व अन्य विवरण कार्यालय नजारत में किसी भी कार्यदिवस में एवं जनपद न्यायालय की वेबसाईट **https://districts.ecourts.gov.in/SantKabirNagar** पर देखी जा सकती है।

उपरोक्त नीलामी की तिथि में किसी प्रकार के परिवर्तन व अमानत राशि में वृद्धि किये जाने अथवा स्वीकृति/अस्वीकृति एवं किसी प्रकार के विवाद के लिए अन्तिम निर्णय लिये जाने का अधिकार माननीय जिला जज, संत कबीर नगर के अधीन सुरक्षित होगा, जो सभी को मान्य होगा।

(अनिल कुमार वशिष्ठ)
अध्यक्ष नीलामी समिति/
अपर जिला जज-प्रथम
संत कबीर नगर।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को व्यापक प्रचार प्रसार हेतु-

1- नोटिस बोर्ड जनपद न्यायाधीश, संत कबीर नगर।
2- नोटिस बोर्ड जिलाधिकारी, संत कबीर नगर।
3- नोटिस बोर्ड तहसीलदार सदर, संत कबीर नगर।
4- नोटिस बोर्ड नगर पालिका परिषद, खलीलाबाद, संत कबीर नगर।
5- नोटिस बोर्ड जनपद/सिविल बार एसोसिएशन, संत कबीर नगर।
6- नोटिस बोर्ड जिला वन अधिकारी, संत कबीर नगर।
7- जिला सूचना अधिकारी, संत कबीर नगर, वास्ते कम से कम दो दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशन हेतु।
8- कम्प्यूटर विभाग को इस जनपद एवं माननीय उच्च न्यायालय की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

(अनिल कुमार वशिष्ठ)
19/5/22
अध्यक्ष नीलामी समिति/
अपर जिला जज-प्रथम
संत कबीर नगर।

कार्यालय– जनपद न्यायाधीश, संत कबीर नगर।

नीलामी की शर्ते

1. नीलामी की बोली में भाग लेने वाले व्यक्ति को रूपये 20,000/–अमानत राशि के रूप में कार्यालय नजारत में दिनांक 02.06.2022 तक जमा करना होगा एवं नीलामी प्रारम्भ होने के पूर्व अपना एक पहचान पत्र (आधार कार्ड, वोटर कार्ड की छाया प्रति व अन्य पहचान पत्र जिसमें व्यक्ति का नाम, फोटो व निवास स्थान अंकित हो) जमा करना होगा। बिना पहचान–पत्र व अमानत राशि जमा किये निलामी मे भाग लेने का अधिकार नही होगा। नीलामी उपरान्त जिस बोलीदाता की उच्चतम बोली होगी उसकी अमानत राशि नीलामी राशि में समायोजित कर ली जायेगी। शेष नीलामी में भाग लेने वाले व्यक्तियों की अमानत राशि नीलामी समाप्ति के पश्चात नियमानुसार शर्तों के अधीन वापस कर दी जायेगी।
2. नीलामी की अधिकतम बोली बोलने वाले को क्रेता के रूप में अधिकृत माना जायेगा।
3. नीलामी में सफल बोलीदाता को नीलामी की उच्चतम बोली की राशि में से अमानत राशि कम करने के पश्चात अन्तर राशि नीलामी बोली के उपरान्त तत्काल नगद जमा करनी होगी, यदि उच्चतम बोलीदाता निर्धारित अवधि में राशि जमा करने में असफल रहता है तो उसकी अमानत राशि जब्त मानी जायेगी।
4. बोलीदाता को कार्य सम्पादन के दौरान शासकीय भवनों, विद्युत लाईनों आदि के सम्बन्ध में पूर्ण सावधानी बरतनी होगी। यदि किसी प्रकार की क्षति पौधो के काटते समय होगी तो उसकी मरम्मत भरपाई क्रेता को करने के बाद ही पौधो का उठान करने दिया जायेगा।
5. नीलामी चिन्हित पौधों "जहाँ है जैसे है" के आधार पर होगी इसलिए यह माना जायेगा कि बोलीदाता द्वारा पौधों का निरीक्षण बोली से पूर्व कर लिया गया है।
6. पौधों को भूमि तल से जड़ सहित काटा/निकाला जायेगा। पौधों को काटने/निकालने के समय एवं परिवहन के दौरान समस्त आवश्यक सुरक्षात्मक उपाय बोलीदाता को स्वयं करने होंगे।
7. नीलामी के पन्द्रह दिन के भीतर नीलाम पौधों को अनिवार्य रूप से कटवाकर/उखाड़कर न्यायालय परिसर को खाली करना होगा एवं नीलामी क्रेता को नीलामी सम्बन्धी समस्त औपचारिकतायें स्वयं पूर्ण करना होगा।
8. काटे गये पौधों को मौके से हटाये जाने की कार्यवाही उसी दिन करना होगा। पौधों को हटाने के पश्चात गड्ड़ो भरकर समतल करना होगा, जिसके लिए कोई अतिरिक्त भुगतान देय नही होगा।
9. कार्य सम्पादन के दौरान किसी प्रकार की दुर्घटना घटित होने होने पर उसकी समस्त जिम्मेदारी बोलीदाता की होगी।
10. नीलामी प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की अनियमितता एवं दुरभिसन्धि पाये जाने पर बोलीदाता द्वारा जमा सम्पूर्ण धनराशि जब्त कर ली जायेगी।

उपरोक्त वर्णित शर्त 01 से 10 का पूर्ण पालन करते हुए सम्पूर्ण कार्य निर्धारित अवधि में पूर्ण करना होगा। यदि बोलीदाता कार्य को पूर्ण करने में असमर्थ रहता है या उसके द्वारा उपरोक्त वर्णित शर्तों में से किसी शर्त का उल्लंघन किया जाता है, तो निलामी को निरस्त करते हुए उसके द्वारा जमा की गई सम्पूर्ण राशि जब्त कर ली जायेगी।

A.K. Mishra 18.05.2022
(अजीत कुमार मिश्र)
सदस्य नीलामी समिति/
सिविल जज (जू०डि०)FTC–II
संत कबीर नगर।

D.singh 18.5.022
(दिनेश प्रताप सिंह)
सदस्य नीलामी समिति/
विशेष न्यायाधीश (एस.सी./एस.टी.)
संत कबीर नगर।

18/5/22
(अनिल कुमार वशिष्ठ)
अध्यक्ष नीलामी समिति/
अपर जिला जज–प्रथम
संत कबीर नगर।

Approved. 18.05.22

जनपद न्यायाधीश
सन्त कबीर नगर